स.ए. 20011/4/2017-हिंदी/Hindi
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless
खण्डसं ,9 .के.स.का .परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड ,नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3

दिनांक /Dated: 02 नवम्बर 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सितम्बर 2020 की तिमाही बैठक की कार्यवृत्त।

निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही की बैठक का आयोजन दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को 1530 बजे श्री देवेन्द्र सिंह, भा.दू.से., अपर निदेशक (मुख्यालय), समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की अध्यक्षता में ऑनलाइन किया गया। बैठक में कार्यसूची के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और निदेशालय हेतु राजभाषा से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए।

2. बैठक की कार्यवृत्त की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, निदेशालय के अनुभागों एवं सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों की सूचना, रिकॉर्ड एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेषित किया जाता है।

3. सभी संबंधितों से अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित मदों पर यथापेक्षित कार्रवाई करते हुए की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग को एक माह के भीतर अवगत करवा दें ताकि निदेशालय की अगली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट समिति के सामने प्रस्तुत की जा सके।

4. यह कार्यवृत्त सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

02.11.2020

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : **011-24361588**
ई-मेल आईडी- rajivkumar.79@dcpw.gov.in

संलग्नक : यथोपरि।

प्रति:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. सभी अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।
3. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली ।
4. सहायक निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरीफोर्ट, नई दिल्ली।
5. स.नि. सूचना और प्रौद्योगिकी- विभाग की वेबसाइट (Circular भाग) पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:-

1. अपर निदेशक (मुख्यालय)/ अपर निदेशक (प्रचालन) के वैयक्तिक सचिव।

2. निदेशक (राजभाषा), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आठवां तल, एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001 को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
(राजभाषा अनुभाग)

<u>विषय</u>: समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (सितम्बर 2020) की कार्यवृत्त।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सितम्बर 2020 तिमाही की बैठक श्री देवेन्द्र सिंह, अपर निदेशक (मुख्यालय) महोदय की अध्यक्षता में दिनाँक 13 अक्टूबर 2020 को 1530 बजे निदेशालय (मुख्यालय) में आयोजित की गयी। वर्तमान कोविड-19 महामारी निवारण उपायों के परिप्रेक्ष्य में यह बैठक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गयी । बैठक में समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	
1.	श्री देवेन्द्र सिंह, भा.दू.से., अपर निदेशक (मुख्यालय)	अध्यक्ष
2.	श्री एम.एस.एन. स्वामी, अपर निदेशक (प्रचालन)	अध्यक्ष
3.	श्री आर. के. वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
4.	श्री घनश्याम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
5.	श्री नरेश कुमार, उप निदेशक (समन्वय एवं वस्तु प्रबंधन)	सदस्य
6.	श्री विक्रम सिंह पंवार, उप निदेशक (संचार)	सदस्य
7.	श्री विद्याधर, उप निदेशक (बीजलेख/कार्यशाला)	सदस्य
8.	श्री एच. एस. श्रीहरी, सहायक निदेशक (पोलनेट हब)	सदस्य
9.	श्री हेमन्त कुमार, सहायक निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
10.	श्री विनय बड्थवाल, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
11.	श्री राम प्रसाद, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
12.	श्री शशि कांत सिंह, सहायक निदेशक (क्रय)	सदस्य
13.	श्री के. साहा, सहायक निदेशक (आई.टी. एवं भूमि व भवन)	सदस्य
14.	डॉ. राजीव कुमार सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव
15.	श्री कुलदीप के रावत, लेखा अधिकारी	सदस्य
16.	श्री दिनेश सिंह, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	सदस्य

बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया और अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की, जो निम्नानुसार है :-

<u>मद संख्या 1</u>. <u>पिछली बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि</u>. मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनाँक 13 मार्च 2020 को अपर निदेशक (प्रचालन) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने इसकी पुष्टि की। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्यवृत्त बनायी जानी चाहिए और कार्यवृत्त पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई पर अगली बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

मद संख्या 2. **वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में निर्धारित लक्ष्य.** भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों पर बिंदुवार चर्चा की गयी और इन निर्धारित लक्ष्यों में निदेशालय के अनुभागों द्वारा कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया, उस पर विस्तार से विचार-विमर्श कर के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार आवश्यक निर्णय लिए गएः-

(क) **हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)**. हमारा कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है और 'क' क्षेत्र से 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों को हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 100% है और 'ग' क्षेत्र के लिए 65% है। समिति को सूचित किया गया कि जून 2020 तिमाही में कार्यालय द्वारा 'क' एवं 'ख' क्षेत्र को क्रमश: 40.30% एवं 36.45% हिंदी पत्राचार और 'ग' क्षेत्र को 29.10% हिंदी पत्राचार किया गया। इस प्रकार, कार्यालय का हिंदी पत्राचार लक्ष्य से बहुत कम है। निर्णय लिया गया कि सभी अनुभाग हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। अनुभागों की तरफ से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि सभी अनुभाग हिंदी पत्राचार को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करेंगे।

(ख) **हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना**. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर 100% हिंदी में ही दिया जाना अपेक्षित है। कार्यालय के सभी अनुभागों द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) **हिंदी में टिप्पण**. 'क' क्षेत्र के लिए हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य 75% निर्धारित है। जून 2020 तिमाही के अनुसार हमारे कार्यालय द्वारा 48.29% हिंदी टिप्पणियां लिखी गयी हैं, जो कि लक्ष्य से कम है। निर्णय लिया गया कि सभी कर्मचारी एवं अधिकारी अधिक से अधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखने का प्रयास कर इस लक्ष्य को हासिल करेंगे।

(घ) **हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण**. राजभाषा विभाग द्वारा लक्ष्य 70% निर्धारित है। निदेशालय के केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान में हिंदी एवं मिली जुली भाषा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण का लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ, इसकी सही जानकारी होनी चाहिए। निदेशालय की मार्च 2020 की तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 96.81% प्रशिक्षण मिली-जुली भाषा में, 0.90% हिंदी माध्यम से तथा 2.27% प्रशिक्षण अंग्रेजी माध्यम से दिया गया है। निर्णय लिया गया कि सी.पी.आर.टी.आई. द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।

(ङ) **हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती**. लक्ष्य 80% निर्धारित है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशालय के कर्मचारियों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है।

(च) **हिंदी में डिक्टेशन/की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वंय एवं सहायक द्वारा).** लक्ष्य 65% निर्धारित है। अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी मांगी गयी कि निदेशालय द्वारा कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है, और यदि इसके आंकड़े नहीं है तो संबंधित अनुभाग /अधिकारियों को पत्र भेजकर आंकड़े मंगाए जाएं।

(छ) **हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि).** लक्ष्य 100% निर्धारित है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी मांगी गयी कि हमारे निदेशालय द्वारा कितना प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है, इसका डाटा रखा जाना चाहिए और जिन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है उन्हें प्रशिक्षण में भेजने की कार्रवाई की जानी चाहिए। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि हिंदी भाषा प्रशिक्षण (प्रवीणता, कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त) का डाटा तैयार किया गया है और जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, उनका पूरा डाटा कार्यालय में उपलब्ध है।

(ज) **द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना**. लक्ष्य 100% निर्धारित है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के पश्चात् संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी में ही है लेकिन प्रशिक्षण हिंदी एवं मिली जुली भाषा में प्रदान किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि लक्ष्य

को प्राप्त करने के लिए सी.पी.आर.टी.आई. प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री/पुस्तकें आदि द्विभाषी में तैयार करवाये क्योंकि लक्ष्य 100% है, यानी प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार होनी चाहिए और लक्ष्य को हासिल किया जाना चाहिए।

(झ) <u>पुस्तकालय के कुल अनुदान में से हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय</u>. लक्ष्य 50% निर्धारित है। इसमें डिजीटल वस्तुओं अर्थात, हिंदी 'ई' पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय शामिल है। सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निदेशालय के लेखा अनुभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी मित्तव्ययिता संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए जून एवं सितम्बर तिमाही में हिंदी पुस्तकों की खरीद नहीं की गयी है, साथ ही हिंदी पुस्तकालय में केवल हिंदी की ही पुस्तकें खरीदी जाती हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि सरकारी प्रावधानों के अनुसार अगली तिमाही में हिंदी पुस्तकों की खरीद की जाए।

(ञ) <u>कम्प्यूटर सहित सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी खरीद</u>. लक्ष्य 100% निर्धारित है। निदेशालय द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है। साथ ही निर्णय लिया गया कि संबंधित अनुभाग जैसे, क्रय एवं आई.टी. अनुभाग भविष्य में कम्प्यूटर आदि की खरीद करते समय इनमें द्विभाषी सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(ट) <u>वेबसाइट का द्विभाषीकरण</u>. लक्ष्य 100% निर्धारित है। समिति को सूचित किया गया कि यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

(ठ) <u>नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो</u>. लक्ष्य 100% निर्धारित है। समिति को सूचित किया गया कि हमारे कार्यालय द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है।

(ड) **(अ)** <u>मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण.</u> लक्ष्य 25% (न्यूनतम) निर्धारित है। इस वित्तीय वर्ष में वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण निरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। निर्णय लिया गया कि कोविड-19 महामारी के हालात सामान्य होने के बाद निरीक्षण पूर्ववत् जारी रखा जाए।

(ब) <u>मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण</u>. लक्ष्य 25% (न्यूनतम है)। समिति को सूचित किया गया कि हिंदी पखवाड़ा के दौरान मुख्यालय के अनुभागों का राजभाषाई निरीक्षण से संबंधित आंकड़े ले लिए गए हैं, लेकिन वर्तमान कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपाय के रूप में अनुभागों का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण नहीं किया गया है। निर्णय लिया गया कि स्थिति सामान्य होने के पश्चात् सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा अनुभागों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट की अनुभागों में जाकर प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाएगा।

(ढ) <u>राजभाषा संबंधी बैठकें</u>.

(अ) <u>नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति</u>. लक्ष्य वर्ष में 2 बैठकों (प्रत्येक छमाही में एक बैठक) का है। सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन के संबंध में हमारे कार्यालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जब भी सूचना प्राप्त होगी तदनुसार बैठक में भाग लिया जाएगा।

(ख) <u>राजभाषा कार्यान्वयन समिति.</u> लक्ष्य वर्ष में 04 बैठकों (प्रति तिमाही में एक बैठक) का है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड-19 महामारी के कारण जून 2020 तिमाही में राजभाषा

कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। आगे यह बैठक नियमित आयोजित की जाएगी।

(ण) **कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद**. लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इसका अनुपालन किया जा रहा है। निर्णय लिया गया कि जो भी फॉर्म आदि उपयोग किए जाते हैं, वे निश्चित रूप से द्विभाषी होने चाहिए।

(त) **मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हों.** लक्ष्य 40% निर्धारित है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के बाद सदस्य सचिव ने बताया कि हिंदी अनुभाग के अलावा निदेशालय में कुल 13 अनुभाग (केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान और पोलननेट हब सहित) हैं। इस प्रकार लगभग 5 अनुभागों में सम्पूर्ण कार्य हिंदी में होना चाहिए। साथ ही सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि हिंदी अनुभाग में सम्पूर्ण कार्य हिंदी में होता है इसलिए हिंदी अनुभाग के अतिरिक्त 40% अनुभागों (लगभग 5 अनुभाग) को सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु नामित करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि हिंदी अनुभाग को इस हेतु शामिल किया जाता है या नहीं, इसके लिए गृह मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा) को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण ले लिया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि कम से कम दो अनुभागों को शत प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए नामित करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं सहायक निदेशक (क्रय) से विचार-विमर्श करने के पश्चात् प्रशासन अनुभाग और क्रय अनुभाग को अपना सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए नामित किया गया।

मद संख्या 3. निदेशालय के अनुभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा. अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (जून 2020 तिमाही) की अनुभागवार रिपोर्ट सदस्य सचिव द्वारा पढ़कर सुनायी गयी। समीक्षा के बाद सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि जून 2020 तिमाही में लेखा अनुभाग, भंडार अनुभाग, संचार अनुभाग, पोलनेट अनुभाग एवं पोलनेट हब का हिंदी पत्राचार मार्च 2020 की तिमाही की तुलना में कम हुआ है, जिससे निदेशालय की समेकित हिंदी पत्राचार में कमी आयी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सलाह दी गयी कि सभी अनुभागों को हिंदी पत्राचार को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और अनुभाग अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी तिमाही में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत पहले की तिमाही से कम न हो ताकि धीरे-धीरे हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन अनुभागों का हिंदी पत्राचार पहले की तिमाही की तुलना में बहुत कम हुआ है उनमें से कम से कम तीन अनुभागों के अनुभाग अधिकारियों को सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा पत्र लिखकर कम पत्राचार करने के कारण मांगे जाएं और पत्राचार को बढ़ाने के उपाय भी सुझाए जाएं।

मद संख्या 4. हिंदी पखवाड़ा 2020 का आयोजन. सदस्य सचिव द्वारा समिति को सूचित किया गया कि निदेशालय एवं इसके सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों में इस वर्ष हिंदी पखवाड़ा 2020 दिनांक 01 सितम्बर 2020 से 14 सितम्बर 2020 तक मनाया गया। कोविड-19 महामारी निवारण उपाय के कारण पखवाड़ा के दौरान सभी कार्यक्रम, जैसे- हिंदी कार्यशाला, हिंदी निबंध प्रतियोगिता और हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता और समापन समारोह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गयी । प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

मद संख्या 5. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक/हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन. सदस्य सचिव द्वारा समिति को सूचित किया गया कि सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा सितम्बर 2020 तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक आयोजित की गयी है, कुछ केन्द्रों को छोड़कर बाकी सभी केन्द्रों द्वारा सितम्बर तिमाही के दौरान हिंदी कार्यशाला आयोजित की गयी हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन केन्द्रों में हिंदी कार्यशाला या हिंदी की बैठकें आयोजित नहीं

की गयी हैं, उनको तीसरा अनुस्मारक भेजकर इसे आयोजित करने हेतु निर्देश दिए जाएं/सूचना मांगी जाए और जो केन्द्र उसके बाद भी अनुपालन नहीं करते हैं, तो उनसे इसका स्पष्टीकरण मांगते हुए इस विषय पर पहले की तिमाही बैठक में निदेशक महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

मद संख्या 6. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय और सदस्यों के सुझाव.

(क) **प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए व्यक्तिश: आदेश**. सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रति वर्ष हिंदी में काम करने के लिए व्यक्तिश: आदेश जारी करने का प्रावधान राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत उल्लिखित है और अध्यक्ष महोदय से कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रवीणता प्राप्त सभी कार्मिकों को व्यक्तिश: आदेश जारी करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमति देते हुए कहा कि यदि यह नियम के अंतर्गत है तो व्यक्तिश: आदेश जारी करने के संबंध में अलग से एक फाइल चलाई जाए।

(ख) **हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार**. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिंदी में अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों की पहचान की जाए। ऐसे कार्मिक जो अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करते हैं उन्हें पुरस्कार देने संबंधी कार्रवाई की जाए। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है, साथ ही उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में लागू इस प्रोत्साहन योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष में निधि की कमी की वजह से वित्तीय वर्ष 2019-20 में अभी तक पुरस्कार प्रदान नहीं किया जा सका है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि इस पुरस्कार योजना को वर्ष 2019-20 के लिए भी लागू किया जाए।

उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों से उनके सुझाव पूछे, जो इस प्रकार से थे :-

(1) श्री एल.एस. यादव, सहायक निदेशक (संचार केन्द्र) द्वारा सुझाव दिया कि छुट्टी से वापस आने पर कार्यग्रहण रिपोर्ट, प्रस्थान रिपोर्ट, नेमी टिप्पणी आदि सभी पत्र हिंदी में जारी किए जाने चाहिए और इससे संबंधित एक परिपत्र जारी होना चाहिए। उनका दूसरा सुझाव था कि सभी पत्र या नोट आदि हिंदी में लिखे जाने चाहिए।

स्पष्टीकरण. अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इसके लिए पहले ही निर्णय लिया गया है कि कार्यग्रहण रिपोर्ट, प्रस्थान रिपोर्ट और नेमी टिप्पणी आदि हिंदी में ही लिखे जाने चाहिए। सभी अधिकारियों द्वारा इस पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(2) श्री एल. एस. यादव, सहायक निदेशक (संचार केन्द्र) द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा प्रत्येक 15 दिन में एक बार हिंदी कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए और इसकी सूचना सहायक निदेशक (राजभाषा) को देनी चाहिए।

स्पष्टीकरण. विचार विमर्श करने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि प्रत्येक 15 दिन में हिंदी कार्यशाला आयोजित करना व्यावहारिक नहीं है। नियमत: प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है।

(3) श्री घन श्याम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा सुझाव दिया गया कि हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए कार्यग्रहण रिपोर्ट, प्रस्थान रिपोर्ट, नेमी टिप्पणी, सामान्य टिप्पणी आदि प्रकृति के पत्रों को हिंदी में जारी करने के लिए एक एडवाइजरी जारी किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण. अध्यक्ष महोदय ने बताया कि दूसरे विभागों में कार्यग्रहण रिपोर्ट एवं प्रस्थान रिपोर्ट का प्रोफॉर्मा हिंदी में है। इसी प्रकार से इस निदेशालय में भी हिंदी में कार्यग्रहण रिपोर्ट आदि बनाए जा सकते हैं।

(4) श्री आर.के. वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा सुझाव दिया गया कि निदेशालय के कितने लोग हिंदी में कार्य करने के लिए सक्षम हैं, कितने नहीं हैं और कितने हिंदी में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं इसकी पहचान करने के बाद ही व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाएं।

स्पष्टीकरण. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि व्यक्तिशः आदेश जारी करने के नियम हैं, तो इसके लिए अलग से फाइल चलायी जाए।

(5) श्री आर.के. वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा सुझाव दिया गया कि हिंदी प्रशिक्षण के लिए सी.पी.आर.टी.आई. द्वारा ऑनलाइन माध्यम से एक हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसमें आई.एस.पी.डब्ल्यू. सहित सभी अनुभागों के कार्मिक भी शामिल हो सकते हैं।

(6) डॉ. आर. के. सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा अवगत कराया गया कि अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं और वहां पर गृह मंत्रालय के हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं, इसलिए उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र के कर्मचारी अपने-अपने केन्द्र के नजदीक स्थित प्रशिक्षण संस्थानों से हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

(7) श्री हेमन्त कुमार, सहायक निदेशक (प्रशासन) द्वारा सुझाव दिया गया कि वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को हिंदी में भरा जाना चाहिए जिससे कि हिंदी को बढ़ावा मिलेगा।

स्पष्टीकरण. इस पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि एपीएआर एक महत्वपूर्ण कागजात है इस लिए इसे हिंदी में ही भरना व्यवहारिक नहीं है। ऐसा करने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है जिससे कार्मिक की सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः रिपोर्ट भरने वाले अधिकारी जिस भाषा में सक्षम हैं, उसी भाषा में रिपोर्ट भरें। निर्णय लिया गया कि इसका अग्रेषण-पत्र हिंदी में भेजा जाए ताकि हिंदी पत्राचार को बढ़ावा मिले।

(8) श्री दिनेश सिंह, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा सुझाव दिया गया कि अनुभागों द्वारा 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों में से कुछ के उत्तर हिंदी में और कुछ के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाते हैं और बहुत सारे पत्रों का जबाव देने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुभागों की तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों को समेकित करने पर ऐसा ज्ञात हुआ है। इसलिए जिन पत्रों के उत्तर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, उनकी पावती हिंदी में जारी कर दी जाए, तो यह हिंदी पत्राचार माना जाएगा और इससे समग्र रूप से हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बढ़ेगा।

स्पष्टीकरण. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन अंग्रेजी या हिंदी पत्रों का जबाव देना अपेक्षित नहीं है उन पत्रों की पावती हिंदी में भेज दी जाए, इससे अनुभागों के हिंदी पत्राचार में अवश्य ही वृद्धि होगी और इस प्रकार हमारे कार्यालय का हिंदी पत्राचार भी बढ़ेगा।

(9) श्री एम.एस.एन. स्वामी, अपर निदेशक (प्रचालन) द्वारा सुझाव दिया गया कि हमारे विभाग के जो भी अधिकारी या कर्मचारी कोई सुझाव देते हैं वे सभी सुझाव हिंदी में दिए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि सभी सुझाव हिंदी में आने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि समिति की इस बैठक में लिए गए निर्णयों एवं सुझावों पर समिति के सभी सदस्यों एवं अनुभाग अधिकारियों सहित अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा अपने-अपने स्तर पर अनुपालन किया जाए और इस संबंध में सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा परिपत्र एवं पत्र आदि के माध्यम से समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट ली जाएगी। निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगली तिमाही की बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी।

अंत में कोई बिंदु नहीं होने पर अध्यक्ष महोदय ने ऑनलाइन बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की।

02.11.2020

(डॉ राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)